उत्तरांचल विधान सभा

उत्तरांचल विधान सभा
की कार्यसूची
मंगलवार 25 बैशाख, शक संवत्, 1923

(दिनांक : 15 मई, 2001)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाहन

1— अन्य प्रश्न (देखिये नत्थी (क))

2— सदस्यों की गिरफ्तारी, निरूद्धीकरण व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों ।

3— मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों ।

4— विशेषाधिकार के प्रश्न, यदि कोई हों।

5— उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रकिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, 1958 के नियम—315 के खण्ड (23) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणाऐं, यदि कोई हों।

(कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी (ख))

6— कार्यस्थगन का प्रस्ताव यदि कोई हो।

7— वित्तीय वर्ष 2001—2002 के आय व्ययक की मांगों पर चर्चा और मतदान :—

1—चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या—12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 1363542 हजार (एक अरब छत्तीस करोड पैंतीस लाख बयालिस हजार) रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ग))

..........2/-

2–समाज कल्याण एवं उद्यान मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–15, कल्याण योजनाऐं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रूपये 807983 हजार (अस्सी करोड उन्यासी लाख तिरासी हजार) रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ग))

8– प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को मार्च–अप्रैल, 2001 को वेतन भुगतान न होने के सम्बंध में श्री अम्बरीष कुमार, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

9– नैनीताल झील, भीमताल, नौकुचियाताल आदि के अस्तित्व की सुरक्षा व रख–रखाव व सौन्दर्यीकरण तथा प्रदूषण आदि के सम्बंध में श्री इशम सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्यमंत्री का केवल वक्तव्य।

10– नियम–103 के अन्तर्गत सर्वश्री रघुनाथ सिंह चौहान, बिशन सिंह चुफाल, लाखी राम जोशी, कृष्ण चन्द्र पुनेठा, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण एवं चर्चा।

''इस सदन का निश्चित मत है कि नवगठित उत्तरांचल राज्य की स्थायी राज़धानी दोनों मण्डलों (कुमायूं–गढ़वाल) के मध्य ही बनायी जाए।''

11– नियम–103 के अन्तर्गत श्री इशम सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण एवं चर्चा।

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल राज्य की शिक्षा नीति रोज़गारपरक हो।''

12– नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें, यदि कोई हों।

देहरादून। आज्ञा से,

दिनांक : 15 मई 2001

(महेश चन्द्र)
सचिव

उत्तरांचल विधान सभा

द्वितीय सत्र 2001, का
दूसरा मंगल

उत्तरांचल विधान सभा
की कार्यसूची
शुक्रवार 25 बैशाख, शक संवत्, 1923

(दिनांक : 15 मई, 2001)
समय : 11 : 00 बजे पूर्वाहन्

नत्थी (क)

–: तारांकित प्रश्न :–

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश 22–2–2001	* 1– क्या औद्योगिक विकास मंत्री जानकारी देने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल प्रदेश में चाय उत्पादन हेतु उनकी सरकार टी बोर्ड से आर्थिक निवेश हेतु कोई समझौता कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?	3सरे शुक्र के तारा. 4 में स्था0
श्री मुन्ना सिंह चौहान 20–2–2001	* 2– क्या उद्योग मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कोई नीति बनाई है ? यदि हो, तो संक्षिप्त विवरण क्या है ? क्या सरकार के पास उद्योग जगत से निवेश के कोई प्रस्ताव हुए हैं ? सरकार ने कितने पूंजी निवेश तथा रोज़गार सृजन का लक्ष्य रखा है ?	मा0 मंत्रीजी के अनुरोध पर 3सरे शुक्र के लिए स्थगित
श्री लाखी राम जोशी 26–2–2001	* 3– क्या सिंचाई एवं ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि उत्तरांचल राज्य गठन के पश्चात् टिहरी बांध विस्थापितों से सम्बंधित कार्यों में भारी लापरवाही बरती जा रही है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? यदि नहीं, तो पिछले तीन माह में विस्थापितों के पुनर्वासन कार्यों हेतु पुनर्वास निदेशालय को कितनी धनराशि प्राप्त हुई और प्राप्त धनराशि को पुनर्वास निदेशालय में पुनर्वास के किन–किन कार्यों में खर्च किया गया ?	ऊर्जा
श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा 2–3–2001	* 4– क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जनपद पिथौरागढ़ व चम्पावत अपने प्राकृतिक सौन्दर्य के लिए विख्यात है ? जहां पर पर्यटन के लिए सुरम्यघाटी, रमणीक हिमालयन क्षेत्र, एवं कतिपय महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक व पुरातत्व महत्ता के स्थान पर्याप्त मात्रा में हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थलों के विकास व रख–रखाव के लिए ''एकीकृत पिथौरागढ़ चम्पावत घाटी विकास प्रधिकरण'' का गठन, जिसकी मांग लम्बे समय से की जा रही है, को गठित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?	मा0 मंत्रीजी के अनुरोध पर 3सरे शुक्र के लिए स्थगित

......2 / –

श्री अम्बरीष कुमार 2–3–2001	* 5– क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने की कोई योजना बनाई जा रही है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	ऊर्जा
श्री ज्ञान चन्द 2–3–2001	* 6– क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मनेरी भाली स्टेज द्वितीय जल विद्युत परियोजना का अवशेष कार्य कब तक शुरू करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?	ऊर्जा
श्री राम सिंह सैनी 17–3–2001	* 7– क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि टिहरी बांध के विस्थापितों हेतु हरिद्वार जनपद की कृषि योग्य भूमि अधिग्रहित की जा रही है ? यदि हां, तो कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण न करके कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?	सिंचाई
श्री राजेन्द्र सिंह 19–2–2001	* 8– क्या औद्योगिक विकास मंत्री को जानकारी है कि देहरादून जनपद में माइनिंग सेस फण्ड का कितना धन चालू वित्तीय वर्ष में किस–किस मद में तथा किन–किन ग्रामों में खर्च किया गया है तथा कितना–कितना धन शेष है ? शेष धन को सम्बंधित/प्रभावित क्षेत्रों की किन–किन योजनाओं में खर्च करना प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	मा0 मंत्रीजी के अनुरोध पर 3सरे शुक्र के लिए स्थगित
श्री हरवंश कपूर 24–4–2001	* 9– क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ऊर्जा विभाग में प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को विभाग में समायोजित करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक प्रशिक्षुओं को समायोजित कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि विद्युत प्रशिक्षुओं को विभाग में रिक्त पदों पर उनकी योग्यतानुसार समायोजित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? यदि हां, तो कब तक ?	ऊर्जा

–: अतारांकित प्रश्न :–

श्री राजेन्द्र सिंह 22–2–2001	1– क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि टिहरी जनपद में वर्ष 2000–2001 में कितने खनन पट्टे निष्पादित किए गए ? उक्त जनपद में ही बादल नदी व नल खाला का खनन पट्टा किस–किस के नाम निष्पादित किया गया ? क्या उक्त खनन पट्टे शासन की नीति के अनुसार जारी किए गये ? यदि न्हीं, तो सम्बंधित अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, ते क्यों ?	औद्योगिक विकास
श्री राम सिंह सैनी 24–4–2001	2– क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में अनुसूचिज जाति, अनु0जनजाति तथा पिछड़ी जाति हेतु चलाये जा रहे प्रशिक्षण व मार्ग दर्शन केन्द्रों की उपयोगिता का आंकलन किया जा गया है ? यदि हां, तो इन केन्द्रों में अब तक कितने अभ्यर्थी प्रशिक्षण हेतु भर्ती किये गए तथा कितने–कितने सेवायोजित हुए हैं ?	औद्योगिक विकास
श्री राम सिंह सैनी 24–4–2001	3– क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वि0 खण्ड वहादरावाद जनपद हरिद्वार के ग्राम खेलड़ी बेगमपुर ग्रामों के किसानों ने सिंचाई सम्बंधी शिकायतों को लेकर सिंचाई मंत्री, मंख्यमंत्री जी को मांग पत्र भेजे थे ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?	सिंचाई

उत्तरांचल विधान सभा

द्वितीय सत्र 2001, का
दूसरा मंगल

उत्तरांचल विधान सभा
की कार्यसूची
शुक्रवार 25 बैशाख, शक संवत्, 1923
(दिनांक : 15 मई, 2001)
समय : 11 : 00 बजे पूर्वाहन्
नत्थी (ख)

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी बैठक दिनांक 11 मई, 2001 में निम्नलिखित संस्तुतियां की है :–

1– नियम 103 के अन्तर्गत स्वीकृत निम्नलिखित प्रस्तावों को दिनांक 15, 16 एवं 17 मई, 2001 को रख दिया जाय।
2– नियम–52 के अन्तर्गत स्वीकृत चर्चा को दिनांक 18 मई, 2001 को रख लिया जाए।
3– दिनांक 18 मई, 2001 को असरकारी दिवस सरकारी कार्य के परिमाण को देखते हुए रखा जाए।

तदनुसार सदन का दिनांक 15 मई, 2001 से 18 मई, 2001 तक का कार्यक्रम निम्नवत निर्धारित किया गयाः–

मई, 2001

15, मंगलवार

1– मा0 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्री से सम्बद्ध विभाग,
(I) अनुदान संख्या–12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।

2– मा0 उद्यान मंत्री से सम्बद्ध विभाग
(I) अनुदान संख्या–15, कल्याण योजनाएं एवं उद्यान विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।

3– श्री रघुनाथ सिंह चौहान द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण :–
"इस सदन का निश्चित मत है कि नवगठित उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी दोनो मंडलों की (कुमायूं, गढ़वाल) के मध्य ही बनायी जाए।"

4– श्री इशम सिंह द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण :–
" इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल राज्य की शिक्षा नीति रोजगारपरक हो।"

..........2/–

16, बुद्धवार	1– मा0 वन एवं पर्यावरण मंत्री से सम्बद्ध विभाग, (I) अनुदान संख्या–27 वन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान। 2– मा0 ग्राम्य विकास मंत्री से सम्बद्ध विभाग, (I) अनुदान संख्या–19, ग्राम्य विकास विभाग की अनुदान पर मांग,चर्चा एवं मतदान। 3– डा0 इन्दिरा हृदयेश द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण :– " इस सदन का सुनिश्चित मत है कि अल्पसंख्यक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग के उत्थान एवं विकास हेतु किसी कल्याण बोर्ड अथवा निगम की स्थापना की जाय।
17, गुरूवार	1– मा0 पर्यटन, औद्योगिक विकास, विज्ञान एवं तकनीकी, श्रम एवं सेवायोजन, तीर्थाटन तथा धर्मस्व कार्य मंत्री से सम्बद्ध विभाग (I) अनुदान संख्या–16 श्रम एवं रोजगार विभाग की अनुदान पर मांग चर्चा एवं मतदान। (II) अनुदान संख्या–23 उद्योग विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान। (III) अनुदान संख्या–26 पर्यटन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान। 2– मा0 वित्त, संस्थागत वित्त, राजस्व एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री से सम्बद्ध विभाग, (I) अनुदान संख्या–06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान। 3– मा0 कृषि मंत्री से सम्बद्ध विभाग, (I) अनुदान संख्या–17 कृषि, कर्म एवं अनुसन्धान विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान। 4– डा0 इन्दिा हृदयेश द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण:– " इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल में कार्यरत सरकारी शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को, पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप, पद से पद की समानता के आधार पर वेतनमान अनुमन्य किए जायें।"
18, शुक्रवार	असरकारी दिवस (आधा दिन) 1– मा0 मुख्य मंत्री से सम्बद्ध विभाग (I) अनुदान संख्या–25 खाद्य विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान। 2– मा0 वित्त मंत्री से सम्बद्ध विभाग (I) अनुदान संख्या–07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।

........3/–

3– मा0 कृषि मंत्री से सम्बद्ध विभाग,

(I) अनुदान संख्या–18 सहकारिता विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।

4– मा0 पशुपालन मंत्री से सम्बद्ध विभाग

(I) अनुदान संख्या–28 पशुपालन सम्बन्धी कृषि कार्य विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान।

5– शेष विभागों के अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान (मानवाधिकार एवं राष्ट्रीय एकता) (मा0 मुख्य मंत्री)

6– उत्तरांचल विनियोग विधेयक,2001 का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण। (मा0 वित्त मंत्री)

7– ''पर्वतीय क्षेत्र में दिनांक 6 मई, 2001 को भारी ओला वृष्टि से फसल को हुई क्षति के सम्बंध में श्री रघुनाथ सिंह चौहान ,श्री भारत सिंह रावत एवं श्री बिशन सिंह चुफाल द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत चर्चा।

उत्तरांचल विधान सभा

नत्थी (ग)

वित्तीय वर्ष 2001–2002 के आय–व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या :– 12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण।

प्रस्तावक का नाम

श्री काजी मो0 मोइउद्दीन
श्री अम्बरीष कुमार
श्री मुन्ना सिंह चौहान
श्री राम सिह सैनी
डा0 इन्दिरा ह्रदयेश
श्री इशम सिंह

प्रस्ताव का रूप

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना तथा सुझाव देना।

अनुदान संख्या :– 15, कल्याण योजनाऐं।

प्रस्तावक का नाम

श्री काजी मो0 मोइउद्दीन
श्री अम्बरीष कुमार
श्री मुन्ना सिंह चौहान
श्री राम सिह सैनी
डा0 इन्दिरा ह्रदयेश
श्री इशम सिंह

प्रस्ताव का रूप

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना तथा सुझाव देना।